न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील/एलआर /3456/2005/दौसा

सुरजन पुत्र सोन्या जाति मीणा निवासी ग्राम काली पहाड़ी तहसील दौसा जिला दौसा।

—अपीलांट

बनाम

1— हनुमान पुत्र बलदेव जाति मीणा निवासी काली पहाड़ी तहसील दौसा जिला दौसा
2— आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उप जिला कलेक्टर, दौसा जिला दौसा।

—रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः—
1. श्री उमेश कुमार गौड़, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक— 18—1—2024

हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7—12—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सुरजन पुत्र सोन्या जाति मीणा को दिनांक 15—6—1989 को ग्राम काली पहाड़ी में खसरा नंबर 1901/2 में रकबा 0.50 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन के विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम—1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत एक प्रार्थना—पत्र अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28—4—2004 द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र को खारिज कर आवंटन दिनांक 15—6—1989 को बहाल रखा। उक्त आदेश दिनांक 28—4—2004 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट द्वारा एक अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 7—12—2004 द्वारा रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। उनका कहना है कि अपीलांट ने आवंटित भूमि के आधे भू–भाग को आवंटन के बाद प्रथम वर्ष में एवं संपूर्ण भू–भाग पर द्वितीय वर्ष में काश्त नहीं किये जाने के कारण आवंटन नियम 14(3) की पालना नहीं होने के कारण अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वीकार कर आवंटन आदेश निरस्त किये जाने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में अपीलांट द्वारा फ्रॉड व मिस रिप्रजेन्टेशन के आधार पर आवंटन आदेश प्राप्त करने के तथ्य को सही माना है। जबकि उनको विधिवत रूप से आवंटन किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 88 से गैर खातेदार एवं खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 573 से खातेदारी प्रदान की गई है । उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने सार गर्भित एवं साक्ष्य द्वारा प्रमाणित निर्णय पर ध्यान केन्द्रित किये बिना आलोच्य निर्णय पारित कर अपने अधिकार क्षेत्र का स्वेच्छापूर्वक अतिक्रमण कर अपीलांट के हक में पारित आवंटित आदेश को 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद निरस्त कर न्यायिक व्यवस्थाओं का उपहास किया है। उन्होंने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अपनी ओर से पैरवी हेतु सुश्री सीमा पंजाबी अभिभाषक को अधिकृत किया था, जिसने अपीलांट द्वारा बार–बार तलाश करने के बावजूद भी आलोच्य निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं दी। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–12–2004 निरस्त किया जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2008(15) पृष्ठ 435, आर.बी.जे. 2007(15) पृष्ठ 688, आर.आर.टी. 2008(1) पृष्ठ 610 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए ।

5. रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि अपीलांट द्वारा आवंटन की शर्तों के अनुसार प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में भूमि काश्त नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर अपना मंतव्य प्रकट नहीं करते हुए केवल मात्र यह मानते हुए कि आवंटी भूमिहीन कृषक है। आवंटन में कोई धोखाधड़ी नहीं मानते हुए व आवंटन की शर्तों की पालना करना मानते हुए आवंटन

यथावत रखा है, जबकि स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित है कि आवंटी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता हो कि आवंटन के प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में भूमि के क्रमशः आधे–आधे भाग पर कृषि की गई हो। वास्तव में आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई और न ही उसका कभी कब्जा रहा है। आवंटित भूमि रेस्पोडेंट की खातेदारी की भूमि से लगती भूमि है, जिस पर रेस्पोडेंट का कब्जा है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2008(15) पृष्ठ 435, आर.बी.जे. 2007(14) पृष्ठ 687, आर.आर.टी. 2008(1) पृष्ठ 610 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. उभयपक्षकारान के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

7. सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम एवं उसके साथ संलग्न शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया । प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों एवं शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए उदारता का रूख अपनाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को शमन किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है ।

हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार के समक्ष ग्राम काली पहाडी में स्थित खसरा नंबर 1901/2 रकबा 0.50 एयर भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत किया जिस पर आवंटन कमेटी सिफारिश पर दिनांक 15–6–89 को अपीलाण्ट को खसरा नंबर 1901/2 रकबा 0.50 एयर भूमि का आवंटन की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा आवंटन किया गया । उक्त आवंटन के आधार पर जमाबन्दी संवत 2047 से 2050 में अपीलाण्ट सुरजन वल्द सोन्या कौम मीणा सा0देह गैर खातेदार का नाम दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत 2052–2054 में पड़त दर्ज है । इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि उसका कब्जा विवादित भूमि पर है और यदि कब्जा हो तो भी वह आवंटन को निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है । जबकि अपीलाण्ट को विधिवत आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) प्रस्तुत कर आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से खारिज कर आवंटन बहाल रखा है । किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आवंटन इस आधार पर खारिज किया कि आवंटन की शर्तो का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर काश्त नहीं की गई जबकि संवत 2051 की खसरा गिरदावरी में बाजरा की काश्त का अंकन है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि नियम 14(3) में 1999 से निम्न प्रकार संशोधन किया जा चुका है–

"14(3)-The allotee shall have to bring the land under cultivation and shall utilize it properly.

Provided that this perios may be extended by the Tehsildar by one year if due to unforeseen causes over which the allotee had no control, he was unable to cultivate the land within the stipulated period."

उक्त संशोधित नियमों के तहत तहसीलदार काश्त करने की अवधि बढ़ा सकता है । इस संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) में निम्न प्रावधान है–

"14- Conditions of Allotment-

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Officer (or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules) either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."

हस्तगत प्रकरण में किए गए आवंटन में हमें कोई कपट या दुर्व्यपदेशन होना दृष्टिगोचर नहीं होता है । विधिवत आवंटी को एक बार गैरखातेदारी प्रदान किए जाने के पश्चात् उसके खातेदारी अधिकार इस आधार पर समाप्त नहीं किए जा सकते कि आराजी पर उसका कब्जा नहीं है । इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है–

D.N.J. 2018 (2) Raj- page 726 - "Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for agriculture Purpose) Rule 1970-Rr.14(3) , 14(4) Board of Revenue set aside the order and restored the allotment-provision of conferring khatedari rights after 3 years -Allotment cannot be cancelled after conferring khatedari rights -presumption of conferring rights after 3 years -Allotment cancelled on account of not cultivation of the land-Held Board of Revenue has not committed any error in setting aside the order of cancelling allotment."

R.R.T. 2009 (1) page 453- "Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for agriculture Purpose) Rule 1970- Rule 14(4)- Allotment cancelled after conferment khatedari rights and 24 years of allotment-Ground for cancellation was illegal possession of opposite party on the disputed land-No findings of Courts below that allotment was obtained by fraud or misrepresentation or there has been any breach of the conditions of allotment. "

R.B.J. 2021 (1) page 747- "Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for agriculture Purpose) Rule 1970- Rule 14(4)& 20 After conferment khatedari rights Allotment cannot be cancelled. "

R.B.J. 2020 (27) page 648 - "Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for agriculture Purpose) Rule 1970- Rule 14(4) -When land was allotted to the non applicant 34 years back and 22 years has expired when khatedari rights of land was given to the non applicant. After such a long time allotment of land made in favour of non-applicant cannot be cancelled. "

R.B.J. 2010 page 608 -"When after allotment of the land possession of land was given to the allottee. After this if somebody trespassed on the land that cannot become the ground for cancellation of the allotment of the land"

R.B.J. 2020 page 157 - "When allotment of land made in favour of appellant was not obtained through fraud or misrepresentation of facts, same allotment cannot be cancelled on the basis of long possession of respondent who is a trespasser on the land ".

R.R.T. 2008 (15) page 436 – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural purpose) Rules 1970- 14(4) "Once khatedari rights have occrued to the allottees of land they can only be withdrawn in accordance with the provisions of Rajasthan Tenancy Act- Allotment of land cannot be cancelled under rule 14(4). "

R.R.T. 2008 (1) page 610 – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural purpose) Rules 1970-14(3) and (4) Cancellation of allotment on the ground of violation of Rule that allottee has not cultivate the land with two years-Rule amended in 1999- Condition deleted-Girdavari show cultivation of the land-Held, BOR has rightly set aside the orders.

R.B.J 2007 (14) page 687 – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural purpose) Rules 1970- 14- There was no violation of condition of allotment when possession of land was not given to the allottee. In this case land was allotted to appellant but as the possession of the land with the respondent as trespasser, Therefore, possession of land was given late. As such there was no violation of condition of allotment when possession of allotted land to the appellant was given late on this ground. allotment cannot be cancelled .

उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट को किया गया आवंटन विधिसम्मत है तथा आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) खारिज किया है किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंधन मानकर विधिविरूद्ध तरीके से आवंटन खारिज करने में त्रुटि कारित की है जो निरस्त योग्य है ।

8. उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह अपील स्वीकार की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, दौसा का निर्णय दिनांक 7–12–2004 निरस्त किया जाता है । जिला कलेक्टर, दौसा का निर्णय दिनांक 28–7–2004 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य